

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी

// आदेश //

क. 51 / दो-11-01/02

कटनी दिनांक:-27-01-25

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से, निम्न विवरण अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

कं.	कर्मचारी का नाम	कहां से (न्यायालय/अनुभाग)	कहां को (न्यायालय/अनुभाग)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव, रीडर ग्रेड-2	प्रस्तुतकार दांडिक रिक्त न्याया-श्री अरुण कुमार गोयल, जेएमएफसी	प्रस्तुतकार सिविल न्याया-श्री गोपेश गर्ग, अष्टम जिला न्यायाधीश कटनी	-
2	श्रीमती सविता सिंह सोलंकी, सहायक ग्रेड-2	प्रस्तुतकार सिविल रिक्त न्याया-श्री अरुण कुमार गोयल, जेएमएफसी	प्रस्तुतकार दांडिक न्याया-श्री गोपेश गर्ग, अष्टम जिला न्यायाधीश कटनी	-
3	श्री गोविंदा पांचे, स्टेनो ग्रेड-2	स्टेनो ग्रेड-2 रिक्त न्याया-श्री अरुण कुमार गोयल, जेएमएफसी	स्टेनो ग्रेड-2 न्याया-श्री गोपेश गर्ग, अष्टम जिला न्यायाधीश कटनी	-
4	श्री मिमोह गढेवाल, सहायक ग्रेड-3	अटैच न्याया-सुश्री अर्पिता शुक्ला, चतुर्थ व्य.न्या. कनिष्ठखण्ड कटनी	साक्ष्य लेखक न्याया-श्री गोपेश गर्ग, अष्टम जिला न्यायाधीश कटनी	-
5	श्री विशिल श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3	अभिलेखागार कटनी	प्रस्तुतकार सिविल न्याया-श्री अजय कुमार नागेश, प्रथम व्य. न्याया. कनिष्ठखण्ड कटनी के अति० न्यायाधीश	-
6	श्री संजय विश्वकर्मा, रीडर ग्रेड-1	अभिलेखागार कटनी	प्रस्तुतकार दांडिक न्याया-श्री अजय कुमार नागेश, प्रथम व्य. न्याया. कनिष्ठखण्ड कटनी के अति० न्यायाधीश	-
7	श्री रघुवेन्द्र जंधेला, सहायक ग्रेड-3	अटैच न्याया-सुश्री प्रीतिबाला मुनिया, द्वितीय व्य.न्या. कनिष्ठखण्ड कटनी	साक्ष्य लेखक न्याया-श्री अजय कुमार नागेश, प्रथम व्य. न्याया. कनिष्ठखण्ड कटनी के अति० न्यायाधीश	-

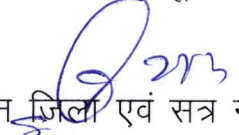
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पृष्ठांकन क्रमांक/ 214 / दो-11-01 / 02
प्रतिलिपि :-

कटनी म.प्र.
कटनी दिनांक 27-01-2025

1. कॉलम क्रं. 3 में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें।
2. कॉलम क्रं. 4 में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन पेश करे।
4. लेखापाल/सहायक लेखापाल/जिला नाजिर/वेतन लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.